an>

Title: Regarding recent developments in Ishrat Jahan encounter case.

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, सुरक्षा एजेंसियां देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, क्योंकि अंदरूनी और बाहर की जितनी जानकारी हमें आई.बी., रॉ ये सब एजेंसीज देती हैं, उसके आधार पर केन्द्र राज्य को पूरी जानकारी देता है अगर कोई आतंकवादी घटना होने वाली है। पूर्व की यूपीए सरकार के समय पूरा प्रयास किया गया कि जितनी एजेंसी थीं, उनका मनोबल भी तोड़ दिया जाए और जितने ईमानदार व्यक्ति थे, उनको भी खत्म करने का पूरा प्रयास किया गया तो पूर्व की यूपीए सरकार के समय किया गया। उस समय के गृह मंत्री ने, जो एक समय पर वित्त मंत्री भी रहे, निशीकान्त जी ने एक दिन अपने भाÂषण में भी कहा कि वे देश के खातों को संभालने के बजाए *â€¦** अपने बेटे के खातों को संभालने में लगे रहे। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नाम किसी का नहीं जाएगा।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : मैडम, यह तो रिकार्ड पर है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप अपनी बात कहिए।

â€¦(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : नो नेम।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : यह क्या है? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : बोल दिया है मैंने, नो नेम।

â€¦(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे : जीरो ऑवर में ऐसे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, खासकर कांग्रेस को डीफेम करने के लिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : अनुराग जी, अपनी बात कहिए।

â€¦(व्यवधान)

HON. SPEAKER: Nothing would go on record.

...(*Interruptions*)*â€¦ **

माननीय अध्यक्ष : केवल अनुराग सिंह ठाकुर जी की बात रिकार्ड में जाएगी। आपस में ऐसा नहीं जाएगा।

...(*Interruptions*)*â€¦**

माननीय अध्यक्ष : नाम नहीं लेना है, आपको मालूम है।

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, देश की सुरक्षा इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो ईमानदार अधिकारी उस समय काम कर रहे थे, उनको प्रताड़ित करके दबाने का प्रयास किया गया और सुरक्षा एजेंसियों को जो जानकारी मिली ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप कहना क्या चाहते हैं?

â€¦(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मैडम, यह इसलिए जरूरी है कि वÂर्ष 2004 से लेकर 2016 हो गया, 12 साल हो गए, आज भी अगर हम देखें तो जो ईमानदार अधिकारी थे, आज भी उनको न्याय नहीं मिल पाया। जो लोग इसमें इनवॉल्व थे, क्या उनके खिलाफ आज की सरकार ने कोई कार्रवाई की है?

इशरत जहां केस में पूर्व की यूपीए सरकार अपने समय यह कहती थी कि इशरत जहां आतंकवादी नहीं थी। जब उन्होंने कहा, साथ ही साथ लश्करे तोइबा की वेबसाइट ने भी उसको अपना शहीद घोÂिषत करने के बजाए उसको कह दिया कि हमारी जेहादी नहीं थी।

माननीय अध्यक्ष : यह पहले उठ चुका है। आप नई बात बताइए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर : इसका मतलब जिस तरह से कांग्रेस निर्णय लेती थी, उसी तरह से लश्करे तोइबा भी साथ के साथ निर्णय किया करती थी। मैडम, मुझे आपके माध्यम से पूछना है, दो बार इस पर चर्चा हुई। ...(व्यवधान) क्या कहा? ...(व्यवधान) मैडम, यह रिकार्ड पर है कि जिस दिन कांग्रेस पार्टी ने, उस समय की यूपीए सरकार ने कहा, एफिडेविट में बदलाव किया, उसी दिन बदलाव उनकी वेबसाइट पर भी हुआ। ...(व्यवधान) यह किसी से छिपा नहीं है। इसी हाउस में इसकी चर्चा हुई। मुझे आपके माध्यम से केवल गृह मंत्री से इतना पूछना है, वे बार-बार स्टेटमेंट बाहर देते हैं, कमेटी को पूछा गया कि जो फाइल्स मिसिंग थीं, क्या वे फाइल्स वापस मिल पाई हैं? *â€¦** के समय, जो फाइल्स उन्होंने कहा कि मैंने एफिडेविट साइन नहीं किया, उन्होंने एक ट्वीट करके कहा,

> "As Minister, when it was brought to my notice that the first affidavit was ambiguous which was filed without my approval, it was being misinterpreted and it was my duty to correct the first affidavit. So, we filed a supplementary affidavit after consulting the Home Secretary, the Director of Intelligence Bureau and other officers."

मैडम, इससे स्पÂट पता चलता है कि उन्होंने पहला एफिडेविट वेंज किया, लेकिन अब उन्होंने बाद में कह दिया कि मुझे यह याद नहीं कि मेरे उसमें हस्ताक्षर थे या नहीं। क्या केन्द्र सरकार फारेंसिक लैब को भेजकर यह पता करवाएगी कि उन्होंने पहले पर साइन किए या नहीं? केन्द्र सरकार ने उनके ऊपर क्या कार्रवाई की और कांग्रेस पार्टी ने भी पूर्व गृह मंत्री के खिलाफ क्या कार्रवाई की है? जो अफजल को कहते हैं कि उनकी फांसी समय से पहले हो गई, तो क्या कांग्रेस उनसे सहमत है? जो यह कहते हैं कि इशरत आतंकवादी नहीं थी, तो क्या आप मानते हैं कि इशरत आतंकवादी नहीं थी? इसका पता लगना चाहिए और केन्द्र सरकार ने इसके ऊपर क्या कार्रवाई की है?

माननीय अध्यक्ष :

श्री पी.पी.चौधरी,

कुँवर पुÂष्पेन्द्र सिंह चन्देल,

श्री शरद त्रिपाठी,

श्री चन्द्र प्रकाश जोशी,

श्री भैरों प्रसाद मिश्र,

श्री रमेश बिधूड़ी और

श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत को श्री अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा उठाए गए विÂषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।